न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश
अन्तर्गत एस0सी0/एस0टी0 एक्ट, बक्सर

(पीठासीन पदाधिकारी– उदय प्रताप सिंह)

एस0सी/एस0टी0 वाद संख्या– 34/2016
(सी0आई0एस0 नं0 223/2021)

स्टेट ऑफ बिहार द्वारा प्रभावती देवी पति नथु पासवान, सा0 नन्दन, थाना– डुमरॉव, जिला–बक्सर .....**अभियोजक**

बनाम्

1. सतेन्द्र यादव उर्फ डुगा यादव, पिता–स्वा0 शिवजी यादव
निवासी–नन्दन, थाना– डुमरॉव, जिला–बक्सर .....**अभियुक्त**

.....

पुलिस थाना–डुमरॉव, (जिला बक्सर)
प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0–290/2015 दिनांकित 04.09.2015
प्राथमिकी अंतर्गत धारा–341, 323, 354, 504 भा.द.सं. एवं 3(1)(x) एस0सी0/एस0टी0 अधिनियम।
संज्ञान अंतर्गत धारा–341, 323, 354, 504 भा.द.सं. एवं 3(1)(x) एस0सी0/एस0टी0 अधिनियम। दिनांकित 18.03.2016.
जिला– बक्सर (बिहार)

.....

उपस्थितिः–

राज्य की ओर से – श्री गोपालजी शर्मा, विद्वान विशेष लोक अभियोजक
अभियुक्त की ओर से – श्री अरूण कुमार राय, विद्वान अधिवक्ता

.....

निर्णय दिनांकित– 11.03.2026

1. प्रस्तुत मामले में एक मात्र अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता–1860 की धारा–341, 323, 354, 504 भा.द.सं. एवं 3(1)(x) एस0सी0/एस0टी0 अधिनियम से आरोपित किया गया है।

2. अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि सूचिका प्रभावती देवी द्वारा डुमरॉव थानाध्यक्ष के समक्ष लिखित आवेदन देकर कथन किया है कि दिनांक 03.09.2015 को सूचिका का लड़का अक्षय कुमार उम्र 8 वर्ष भैंस चराने के लिये लाखनडिहरा के तरफ गॉव से बाहर गया था। सयम 3:00 बजे जब सूचिका घास काटने के लिये उसी तरफ गई तो देखी कि उसका लड़का को सतेन्द्र यादव उर्फ डुगा यादव मारने के लिये खदेड़ रहा है और उसका लड़का रोते हुए गॉव की तरफ भाग रहा था। जब सूचिका यह सब देखकर अपने लड़के को बचाने के लिये पहुँची और अभियुक्त से बोली कि उसके लड़के को क्यों मारने के लिये दौड़ रहे हो इसी बात पर अभियुक्त ने सूचिका को लप्पड़–थप्पड़ से मारने लगा और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर गाली–गलौज करने लगा और उसे बेईज्जत करना चाहा कि अगल–बगल खेत में काम करने वाले दौड़कर बचाने के लिये आ गये तो अभियुक्त छोड़कर भाग गया।

3. सूचक के उपरोक्त लिखित शिकायत के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध डुमरॉव थाना में प्राथमिकी सं0–290/2015 दिनांकित 04.9.2015 अंतर्गत धारा 341, 323, 354, 504

भा.द.सं. एवं धारा 3(1)(x) एस0सी0/एस0टी0 अधिनियम के तहत दर्ज की गयी और पुलिस द्वारा मामले का अनुसंधान किया गया। मामले का अनुसंधान पूर्ण होने के उपरांत पुलिस द्वारा इस वाद के अभियुक्त के विरुद्ध आरोप–पत्र सं0–400/2015 दिनांक–31.12.2015 अंतर्गत धारा 341, 323, 354, 504 भा.द.सं. एवं धारा 3(1)(x) एस0सी0/एस0टी0 अधिनियम न्यायालय के समक्ष समर्पित किया गया। दाखिल किये गये उपरोक्त मूल आरोप पत्र के आधार पर इस मामलें में धारा 341, 323, 354, 504 भा.द.सं. एवं धारा 3(1)(x) एस0सी0/एस0टी0 अधिनियम के अंतर्गत संज्ञान लिया गया।

4. अभियुक्त के विरूद्ध दाखिल किए गए उपरोक्त आरोप पत्र एवं अभिलेख पर मौजूद सामग्री के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्टया मामला पाये जाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 341, 323, 354, 504 भा.द.सं. एवं धारा 3(1)(x) एस0सी0/एस0टी0 अधिनियम के अंतर्गत आरोप विरचित किया गया। विरचित किया गया आरोप न्यायालय द्वारा अभियुक्त को हिन्दी में पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने अपना दोष स्वीकार नहीं किया और न्यायिक विचारण की मांग की। विचारण के क्रम में यह मामला स्थानान्तरण के पश्चात इस न्यायालय में विचारण एवं निष्पादन हेतु प्राप्त हुआ।

5. अभियोजन पक्ष का मौखिक साक्ष्यः– पर्याप्त अवसर देने के उपरांत भी अभियोज पक्ष द्वारा अपने मामले को साबित करने के लिए कोई भी मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया।

6. बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य– बचाव पक्ष द्वारा कोई मौखिक साक्ष्य या दस्तावेजी साक्षी प्रस्तुत नहीं किया गया।

7. वाद में अवधारण के बिंदुः– इस वाद के निस्तारण के लिए अवधारण के मुख्य बिंदु निम्न

प्रकार से हैंः

(ए) क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्तके विरुद्ध लगाये गये आरोपों को सभी शंकाओं से परे साबित करने में सफल रहा है ?

(बी) अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्यों से क्या इस मामले में अभियुक्त द्वारा किसी अन्य अपराध का किया जाना साबित होता है ?

(सी) दोषसिद्धी एवं दंडादेश, यदि कोई हो ।

8. इस वाद को आज अभियुक्त की परीक्षा अर्न्तगत धारा–313 द0प्र0सं0 के लिए रखा गया था लेकिन चूंकि अभियुक्त के विरूद्ध कोई सारभूत साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है, अतः अभियुक्त की उपरोक्त परीक्षा किये जाने की कोई विधिक औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

9. अभिलेख के अवलोकन से स्पष्टतः ज्ञात होता है कि इस वाद में अभुक्त के विरूद्ध कोई विधिक साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है अतः इस वाद में अभियुक्त दं0प्र0सं0 की धारा 232

के अर्न्तगत दोषमुक्ति का हकदार है।

10. दोषमुक्ति का आदेशः– इस वाद में अभियुक्त सतेन्द्र यादव उर्फ डुगा यादव को भारतीय दंड संहिता–1860 की धारा–341, 323, 354, 504 भा.द.सं. एवं धारा 3(1)(x) एस0सी0/एस0टी0 अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त जमानत पर है, अतः अभियुक्त एवं उसके प्रतिभूओं को उनके द्वारा दाखिल किये गये जमानतीय बंधपत्रों से मुक्त किया जाता है। कार्यालय अभिलेख को आवश्यक कार्यवाही उपरांत अभिलेखागार में जमा करे।

लेखापित

Sd/-

न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सह विशेष
न्यायाधीश अन्तर्गत एस0सी0/एस0टी0 एक्ट, बक्सर।

यह निर्णय आज दिनांक 11.03.2026 को लिखवाकर एवं शुद्धिकृत करने के उपरांत खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया एवं हस्ताक्षर किया गया।

लेखापित

Sd/-

न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सह विशेष
न्यायाधीश अन्तर्गत एस0सी0/एस0टी0 एक्ट, बक्सर।

Date of Judgment	11.03.2026
Date of Uploading of Judgment	18.03.2026
Uploaded by	Ratnesh Kumar Singh (Stenographer)